

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 106/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

सोरी पुत्री रामनाथ कहार निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1 अमित पिता सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी रामपुरा बस्ती शाहपुरा
- 2 खाना पिता सूरजमल कुमावत निवासी बारटा गोपालपुरा तह0 शाहपुरा
- 3 भैरु पिता नन्दा कहार निवासी कोठी फिल्ड शाहपुरा
- 4 रामलाल पिता भैरु कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
- 5 सीतादेवी पत्नि भैरूलाल कहार निवासी शाहपुरा

- विपक्षीयण

उपस्थिति :- श्री संजय सिंह हाडा
अधिवक्ता प्रार्थीया

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 05/10/2020

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीयण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीया के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 6247 रकबा 0.06, 6253 रकबा 0.81, 6248 रकबा 0.20, 7408 रकबा 1.02 कुल किता 4 रकबा 2.09 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थीया खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण पडौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीयण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीयण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीयण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनवाई गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीया खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 6247 रकबा 0.06 गे0मु0 खड्डा को छोड़कर शेष किता 3 रकबा 2.03 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करके हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 450/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)